सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

20 कार्तिक, 1941 (श०)

संख्या- 898 राँची, सोमवार, 11 नवम्बर, 2019 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

01 नवम्बर, 2019

विषयः- झारखण्ड राज्य के शहरी स्थानीय निकाय के कर्मियों को सप्तम् वेतन पुनरीक्षण के लाभ की स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

संख्या-01/सा०स्था०-11/2018 न०वि०आ०-5397-- शहरी नागरिकों को आधारभूत सेवाएँ प्रदान करने की जिम्मेवारी शहरी स्थानीय निकायों की है। 74वें संविधान संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय निकायों के उत्तरदायित्वों में वृद्धि की गयी है। उन उत्तरदायित्वों के निर्वहन, केन्द्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं एवं नागरिकों को लोकप्रदायी सेवा उपलब्ध कराने में शहरी स्थानीय निकाय के कर्मियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है।

2. नगर विकास एवं आवास विभाग के संकल्प संख्या-1591 दिनांक-16.05.2011 द्वारा झारखण्ड राज्य के नगर निकाय कर्मियों को छठे वेतन पुनरीक्षण का वैचारिक लाभ दिनांक-01.01.2006 के प्रभाव से प्रदान करते हुए वित्तीय लाभ दिनांक-01.04.2010 से दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. झारखण्ड लोकल बॉडीज इम्पलाईज फेडरेशन एवं अन्य कर्मचारी संघों के द्वारा राज्यकर्मियों के तर्ज पर सातवें वेतन पुनरीक्षण का लाभ प्रदान किये जाने की मांग लगातार की जाती रही है एवं इन

मांगों को लेकर संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल/प्रदर्शन आदि पर चले जाते हैं, जिससे निकाय के कार्य कुप्रभावित होते हैं।

झारखण्ड लोकल बॉडीज इम्पलाईज फेडरेशन के पत्रांक-40/19 दिनांक-13.07.2019 के द्वारा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मियों के लिए सातवें वेतन पुनरीक्षण का लाभ प्रदान किये जाने की मांग संघ द्वारा की गयी, जिसपर दिनांक-15.10.2019 को माननीय विभागीय मंत्री के साथ संघ के पदाधिकारियों के अनौपचारिक बैठक में शहरी स्थानीय निकाय कर्मियों को सातवें वेतन पुनरीक्षण का वैचारिक लाभ दिनांक-01.01.2016 एवं वित्तीय लाभ दिनांक-01.04.2019 से दिये जाने की अनुशंसा की गयी।

4. उल्लेखनीय है कि झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के धारा-58 में प्रावधानित है कि नगरपालिका के सभी पदाधिकारी एवं अन्य कर्मचारी नगरपालिका निधि से वेतन एवं भत्ते प्राप्त करेंगे। निकायों को वित्तीय रूप से सुदृढ़ करने हेतु राज्य सरकार द्वारा झाराखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के आलोक में विभिन्न उपायों यथा-फ्लैट, दुकान, मकान, जमीन आदि का निबंधन तथा सम्पति कर, विज्ञापन कर, जलापूर्ति शुल्क, पार्किंग शुल्क, ट्रेड लाईसेंस आदि के संबंध में नियम/ विनियम गठित किये गये हैं, जिससे नगर निकायों के राजस्व स्रोतों में आशातीत वृद्धि हुई है। तथापि कुछेक निकाय वित्तीय रूप से सुदृढ़ नहीं है या नवगठित निकाय जिनके राजस्व स्रोतों से स्थापना मद में भुगतान करना संभव नहीं है, वैसे निकायों को राज्य सरकार ऋण एवं अनुदान के रूप में स्थापना मद में राशि वित्त विभाग के सैद्धांतिक सहमति के पश्चात् एक नियत अवधि के लिए आवंटन उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता है।

5. अतएव सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित निर्णय लिये जाते हैं:-

(i) नगर निकाय कर्मियों को 7वें वेतन पुनरीक्षण का वैचारिक लाभ दिनांक-01.01.2016 के प्रभाव से देने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया परन्तु वित्तीय लाभ दिनांक-01.04.2019 से दिया जाएगा। इसके फलस्वरूप कोई एरियर (Arrear) का भुगतान करने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की नहीं होगी।

(ii) राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में दिये जा रहे ऋण एवं अनुदान की राशि को Freeze करते हुए मात्र निम्न रूप से ही अतिरिक्त राशि नगर निकायों को उपलब्ध करायी जाएगी :-

प्रतिवर्ष इसपर कुल 12 करोड़ रूपये अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ने का अनुमान है। प्रस्ताव के अनुसार सरकार पर वर्षवार वित्तीय भार निम्नवत होगा :-

वित्तीय वर्ष	**सातवें वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप अतिरिक्त देय राशि का प्रतिशत**
2019-20	वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप अतिरिक्त देय राशि का 80% of 12 करोड़ रूपये = 9.6 करोड़ रूपये।
2020-21	वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप अतिरिक्त देय राशि का 60% of 12 करोड़ रूपये = 7.2 करोड़ रूपये।
2021-22	वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप अतिरिक्त देय राशि का 40% of 12 करोड़ रूपये = 4.8 करोड़ रूपये।
2022-23	वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप अतिरिक्त देय राशि का 20% of 12 करोड़ रूपये = 2.4 करोड़ रूपये।
2023-24	वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप अतिरिक्त देय राशि का 0% of 12 करोड़ रूपये = शून्य।

(iii) वित्तीय वर्ष 2023-24 से निकाय कर्मियों के वेतन का भुगतान पूर्ण रूप से उस निकाय के द्वारा अर्जित किये जाने वाले राजस्व से की जाएगी। अतएव, वित्तीय वर्ष 2022-23 के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा नगर निकायों को स्थापना मद में अतिरिक्त राशि आवंटित नहीं की जाएगी।

(iv) उपर्युक्त कंडिका 5 (ii) के तहत् स्थापना मद में राशि का आवंटन वैसे निकायों को ही उपलब्ध करायी जाएगी, जो वित्तीय रूप से सुदृढ़ नहीं है एवं अपने आय स्रोतों से कर्मियों के स्थापना मद में भुगतान वहन करने की स्थिति में नहीं हैं।

(v) सातवें वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप शहरी स्थानीय निकाय कर्मियों के निर्धारित वेतन का सत्यापन उस नगर निकाय के कार्यालय प्रधान द्वारा संबंधित जिले के जिला लेखा पदाधिकारी से कराना सुनिश्चित करेंगे। सत्यापन के पश्चात ही कर्मियों को सातवें वेतन पुनरीक्षण का लाभ प्रदान किया जाएगा।

6. उपर्युक्त प्रस्ताव मंत्रिपरिषद्, झारखण्ड की बैठक दिनांक-30.10.2019 में मद संख्या-11 के रूप में स्वीकृत है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 898 -- 200